न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 72 / 2024(GCMS : 2024/101)

अडानी कैपीटल प्रा.लि. रजिस्टर्ड कार्यालय अड़ानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009, गुजरात एवं कॉरपोरेट कार्यालय प्रथम बीकेसी, सी–विंग, 1004 / 5, दसवा फ्लोर, बांद्रा कुरला, कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुम्बई – 400051, महाराष्ट्र एवं **शाखा कार्यालय** एस 18–19, महिमा त्रिनीटी मॉल, प्लॉट नम्बर 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर –302019 राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री रोहन बागड़ी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **नरेश कुमार** पुत्र श्री ओम प्रकाश पता वार्ड नम्बर 4, 30 जीजी, गुमीर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड, चूनावढ़, श्रीगंगानगर – 335022 राजस्थान **अन्य पता** नरेश कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश पता पट्टा नम्बर 27 चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर–335022
2. **ओम प्रकाश** पुत्र श्री गंगाराम पता वार्ड नम्बर 4, 30 जीजी, गुमीर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड, चूनावढ़, श्रीगंगानगर–335022
3. **वीना रानी** पत्नी श्री ओम प्रकाश पता वार्ड नंम्बर 4, 30 जीजी, गुमीर किराना स्टोर, बस स्टैण्ड चूनावढ श्रीगंगानगर –335022 राजस्थान **अन्य पता** वीना रानी पत्नी श्री ओम प्रकाश पता पट्टा नम्बर 26, चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर–335022, राजस्थान

18.12.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मेहंदीरत्ता एवं श्री राजीव मेंहंदीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण नरेश कुमार, ओम प्रकाश एवं वीना रानी को ऋण सुविधा के रूप में 11.70 / – लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 28.11.2019 को प्रदान की [illegible] अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 14.12.2023 को 20,[illegible] राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी वीना रानी एवं नरेश कुमार द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः** पट्टा नं. **26, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर(क्षेत्रफल 925 वर्गफीट) एवं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पट्टा नं. 27, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1180 वर्गफीट), का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण नरेश कुमार, ओम प्रकाश एवं वीना रानी** को ऋण सुविधा के रूप में 11.70/– लाख रूपये **(अखरे रूपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 28.11.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी वीना रानी ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 26, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 925 वर्गफीट) एवं नरेश कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 27, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1180 वर्गफीट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.12.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के अप्रार्थीगण ओम प्रकाश एवं वीना रानी ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की विधिक तामील नहीं हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:15 IST
Reason: SetAttestation

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी वीना रानी की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 26, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 925 वर्गफीट) एवं नरेश कुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 27, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1180 वर्गफीट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 16.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.12.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ओम प्रकाश एवं वीना रानी को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, परन्तु अप्रार्थी नरेश कुमार को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार उन्होंने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर दिनांक 05.01.2024 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों प्रातःकाल एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 10.01.2024 को प्रकाशित करवाया है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

और शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा उठाये गये एतराजों का प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को निस्तारण करते हुए जवाब जरिये डाक उन्हें प्रेषित किया जाा चुका है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों **वीना रानी एवं नरेश कुमार** द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अडानी केपीटल प्रा.लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणियों वीना रानी एवं नरेश कुमार **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 26, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 925 वर्गफीट) एवं पट्टा नं. 27, बुक नं. 471, ग्राम पंचायत चूनावढ़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1180 वर्गफीट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखि[illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:35:15 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर